DAINIK JAGRAN N.D. 1/1/2019

सौगात

नए साल पर सरकार ने जनता को दिया तोहफा, पावर बैंक, टायर, 32 इंच तक के टीवी आदि के दाम घटे

23 वस्तुएं और सेवाएं आज से हुईं सस्ती

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : सरकार ने आम जनता को नए साल का तोहफा देते हुए पहली जनवरी से 23 वस्तुओं और सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) घटा दिया है। सोमवार को इस सिलसिले में अधिसूचना जारी कर दी गई। इनमें टीवी, छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टायर और सिनेमा टिकट जैसी चीजें शामिल हैं। इनके अलावा मॉनीटर और 32 इंच तक के टीवी, रीट्रेडेड टायर, पावर बैंक, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, वीडियो गेम, दिव्यागों को ले जाने वाले वाहनों के कलपुर्जे और एसेसरीज, प्राकृतिक कॉर्क, वॉकिंग स्टिक, फ्लाई एश ब्लॉक आदि के लिए उपभोक्ताओं को मंगलवार से कम दाम देने होंगे।

जीएसटी काउंसिल ने अपनी पिछली बैठक में इन वस्तुओं एवं सेवाओं पर 28 फीसद की दर को कम कर दिया था। कुछ वस्तुओं पर इसे घटाकर 18 फीसद, जबकि कुछ सेवाओं पर 18 फीसद की दर को कम कर 12 फीसद किया गया है। जीएसटी की 28 फीसद की सबसे ऊंची दर अब कुछ लक्जरी व्रस्तुओं, अहितकर सामान, सीमेंट, बड़े टीवी स्क्रीन व एयरकंडीशनरों पर ही रह गई है।

इन पर जीएसटी नहीं लगेगा

- संगीत की किताबों, बिना पकी या भाप अथवा उबालकर पकाई गई सब्जियों, फ्रोजेन और ब्रांडेड सब्जियों के लिए जीएसटी नहीं देना होगा।
- प्रसंस्करण की ऐसी अवस्था वाली सब्जियां, जो उस रूप में उपभोग लायक नहीं हों, उनपर भी अब जीएसटी नहीं लगेगा।
- जन-धन योजना के तहत खुले आधारभूत बचत खाता धारकों को अब बैंकिंग सेवाओं के लिए जीएसटी नहीं देना होगा।

सिनेमा टिकट सस्ते

सौ रुपये तक के सिनेमा टिकटों पर अब 12 फीसद जीएसटी लगेगा। सौ रुपये से अधिक वाले सिनेमा टिकटों पर अब 28 फीसद की जगह 18 फीसद जीएसटी लगेगा।